न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
937 / 2024	28.11.2024	19.12.2024

उनवान

1. श्री मांगी लाल आत्मज श्री जुम्माराम बलाई वयस्क निवासी छोटी हरणी तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)

—— प्रार्थी

बनाम

1. चांदी पत्नी कालु भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती रतनी दत्तक पुत्री हीरा पत्नी श्री महावीर भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती उदी पत्नी स्व० श्री जगदीश धोबी जाति धोबी उम्र वयस्था निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
4. श्रीमती लाडू बाई पत्नी श्री भैरू लाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी हरणीकला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. ग्राम पंचायत भोली के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत भोली तहसील एवं जिला महोत्सव (राज.)
6. नगर विकास न्यास भीलवाड़ा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास भीलवाड़ा (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री ऋषि तिवाडी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोली, पटवार हल्का– भोली, भू.अ.नि. क्षेत्र–आटुण, तहसील व जिला–भीलवाड़ा के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 तक में दर्ज खाता संख्या नया 397 पुराना 190 में वर्णित आराजी संख्या 1608 / 1 रकबा 0.5058 हैक्टैयर, आराजी संख्या 1608 / 2 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1608 / 3 रकबा 0.7587 हैक्टेयर कुल किता 03 एवं कुल रकबा 1.7703 हैक्टेयर भूमि कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम भोली, पटवार हल्का– भोली, भू.अ.नि. क्षेत्र–आटुण, तहसील व जिला–भीलवाड़ा के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 तक में दर्ज खाता संख्या नया 397 पुराना 190 में वर्णित आराजी संख्या 1608/1 रकबा 0.5058 हैक्टैयर, आराजी संख्या 1608/2 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1608/3 रकबा 0.7587 हैक्टेयर कुल किता 03 एवं कुल रकबा 1.7703 कृषि भूमि स्थित है। हैक्टेयर भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा